श्री दीपक कुमार यादव,
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)

<u>अग्रिम जमानत आवेदन – 610/26</u>

हिलसा थाना काण्ड सं0– 465/26

गोविन्द कुमार एवं अन्य.....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

<u>16/07/2026</u> आवेदक (1) गोविन्द कुमार, उम्र 28 वर्ष, पिता प्रमेन्द्र प्रसाद, (2) कैलाश यादव, उम्र 62 वर्ष, पिता स्व0 दुखहरण गोप, (3) नीरू कुमारी, उम्र 28 वर्ष, पिता कैलाश यादव, (4) सविता देवी, उम्र 55 वर्ष, पिता कैलाश यादव, (5) निरंजन कुमार उम्र 26 वर्ष एवं (6) मनोरंजन कुमार उम्र 24 वर्ष, दोनों पिता कैलाश यादव, सभी साकिनान कौशिक नगर, थाना हिलसा, जिला नालन्दा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कुमार द्वारा संचालित किया गया। आवेदकगण हिलसा थाना काण्ड सं0– 465/26, दिनांक 07/06/2026 बी0एन0एस0 की धारा– 190, 191(2), 191(3), 115(2), 303(2), 332, 74, 75(2), 76, 324(2), 352 के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में इस केस के संदर्भ में किसी भी न्यायालय में किसी तरह का कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है और न लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा कोई घटना नहीं किये हैं। आवेदकगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप सरासर झूठा वो बेबुनियाद है। उक्त वाद में आवेदकगण को झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण एवं सूचक निजी रिस्तेदार हैं तथा हल्क–फुल्का वाद विवाद के कारण उक्त वाद में नामित किया गया है। प्राथमिकी में आरोप को बढ़ा–चढ़ाकर कहा गया है जो सच्चाई से परे है। आवेदकगण घटना के समय घटना स्थल पर नहीं थे वे लोग किसी आवश्यक काम से पटना गए हुए थे। आवेदकगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण धारा– 482(2) बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः इन्हें किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

सूचिक सुनीता देवी ,द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार दिनांक 06/06/2026 को समय 11:00 बजे दिन में अपना घरेलू काम कर रही थी तो कैलाश यादव, निरंजन कुमार, मनोरंजन कुमार गोविंद कुमार, सविता देवी, नीरू कुमारी एव दस अन्य व्यक्ति के साथ सूचिका के घर में घुस गए। सूचिका के पूछने पर गाली–गलौज करते हुए निरंजन कुमार बुरी नियत से सूचिका का बाल पकड़कर पटक दिया और लात–मुक्का से मारपीट करने लगा तथा मनोरंजन कुमार सूचिका के घर का किबाड़ी तोड़कर घर में रखा बक्सा तोड़ दिया और बक्सा में रखा सोने का चैन, बाली एवं चाँदी का पायल तथा नगद पच्चास हजार रुपया सभी मिलकर ले लिये और कैलाश यादव आदेश दिया कि इसे नंगा करके मारो। निरंजन कुमार एवं गोविन्द कुमार बुरी नियत से बदन का कपड़ा खींचने लगा। हल्ला की तो इज्जत बचाने के लिए भागने लगे तो सभी अपने–अपने कमर में पिस्तौल निकाल कर जान मारने की धमकी देने लगे तथा सीने में सटा दिया। सूचिका किसी तरह अपना जान बचाकर किसी तरह से भागी। हल्ला पर सूचिका का लड़का जितेन्द्र कुमार आया तो उसे भी सब मिलकर मारपीट किए।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन – 610/26</u>

हिलसा थाना काण्ड सं0– 465/26

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि सूचिका एवं आवेदकगण आपस में नजदीकी रिस्तेदार है। बचाव पक्ष के कथानक के अनुसार आवेदिका नीरू कुमारी सूचिका सुनीता देवी की पुत्र वधु है तथा पूर्व में आवेदिका नीरू देवी द्वारा अपने पति एवं सूचिका तथा अन्य परिवारजन पर भरण–पोषण का एक वाद दायर किया था। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 16 के अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण स्वयं भी जख्मी हुए हैं तथा काण्ड दैनिकी के कंडिका– 19 के अवलोकन से विदित होता है कि अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा इस काण्ड के एक अभियुक्त को बी0एन0एस0एस0 की धारा– 35(3) के तहत लाभ प्रदान किया गया है। आवेदन के कंडिका– 3 के अनुसार आवेदकगण के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण को निम्न न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर आत्मसमर्पण करने अथवा इस केस में गिरफ्तार होने की दशा में मो0– 10,000/– रुपए के दो प्रतिभुओं द्वारा बंध पत्र दाखिल करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर धारा– 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि 1. एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होगा तथा दूसरा गॉव समाज का सम्मानित सदस्य होगा। 2. आवेदकगण काण्ड के साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे। 4. आवेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि आगे इस प्रकार के आपराध की पुनरावृति नहीं करेंगे। उपरोक्त शर्तों का उल्लघन करने पर आवेदकगण का बंध पत्र खंडित किया जा सकेगा।

(लेखापित एवं संशोधित)

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)